छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 507/पंग्राविवि/22/2012 रायपुर, दिनांक 12/06/2012

प्रति,

कलेक्टर,
सह अध्यक्ष WCDC,
जिला–समस्त,
छत्तीसगढ़

विषयः– एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) परियोजना अंतर्गत जलग्रहण विकास दल (WDT) के सदस्यों को संविदा नियुक्ति के संबंध में दिशा–निर्देश ।

संदर्भः– इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 1702/पंग्राविवि/22/2012 दिनांक 21.02.2012

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन द्वारा जलग्रहण विकास दल (WDT) के नवीन स्वीकृत पदों पर संविदा नियुक्ति के संबंध में दिशा–निर्देश (परिशिष्ट–1) जारी किया गया, उक्त परिशिष्ट–1 के कंडिका क्र. 1 ''न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निर्धारण'' में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार निर्देश प्रस्तावित किया जाता हैः–

क्र	स्वीकृत पद	न्यूनतम एवं वांछनीय अर्हता	चयन हेतु मेरिट अंक	
1	2	3	4	5
1	WDT सदस्य (यांत्रिकी)	**न्यूनतम**–बी.टेक. (कृषि अभि यांत्रिकी)/बी.ई. सिविल/दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा रूरल टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट विषय में। **वांछनीय**–मृदा एवं जल संरक्षण/वानिकी/शुष्कभूमि कृषि/उद्यानिकी/जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
			शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतनमान पर कार्य अनुभव	15
			उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन	
			न्यूनतम 3 वर्ष तक का अनुभव	05
			5 वर्ष तक का अनुभव	10
			5 वर्ष तक से अधिक का अनुभव	15
2	WDT सदस्य (आजीविका)	**न्यूनतम**–बी.एस.सी. (कृषि/वानिकी/उद्यानिकी/मत्स्य)/ BV&AHSc **वांछनीय**–मृदा एवं जल संरक्षण/वानिकी/शुष्कभूमि कृषि/उद्यानिकी/जलग्रहण क्षेत्र	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
			शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतनमान पर कार्य अनुभव	15
			उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन	

		प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता	न्यूनतम 3 वर्ष तक का अनुभव	05
			5 वर्ष तक का अनुभव	10
			5 वर्ष तक से अधिक का अनुभव	15
3	WDT सदस्य (समूह विकास)	**न्यूनतम**–एम.बी.ए अथवा प्रबंधन में समतुल्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा/ ग्रामीण प्रबंधन/विकास में स्नातकोत्तर अथवा समतुल्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा/ सामाजिक कार्य (MSW)/समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर **वांछनीय**–मृदा एवं जल संरक्षण/वानिकी/शुष्कभूमि कृषि/उद्यानिकी/जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
			शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतनमान पर कार्य अनुभव	15
			उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन	
			न्यूनतम 3 वर्ष तक का अनुभव	05
			5 वर्ष तक का अनुभव	10
			5 वर्ष तक से अधिक का अनुभव	15
4	लेखापाल सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	**न्यूनतम**– मान्य संस्थाओं से कम्प्यूटर में डिप्लोमा अथवा डिग्री। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ –9–4 /2005/1/3, दिनांक 07 जून 2007 में उल्लेखित संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण को ही मान्य किया जावेगा। **वांछनीय**–किसी भी संस्थान से टेली में न्यूनतम 06 माह का डिप्लोमा। किसी भी चार्टड एकाउंटेंट (C.A.) से आर्टिकलशीप का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
			शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतनमान पर कार्य अनुभव	15
			उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन	
			न्यूनतम 3 वर्ष तक का अनुभव	05
			5 वर्ष तक का अनुभव	10
			5 वर्ष से अधधिक का अनुभव	15

यह आदेश पश्चात्वर्ती नियुक्तियों पर ही लागू होगा। दिशा निर्देश की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

छ0ग0 के राज्य पाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

12/6/2011

(देबाशीष दास)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक 508/ पंग्राविवि / 22 / 2012 रायपुर, दिनांक 12/06/ 2012

प्रतिलिपिः—

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभा, मंत्रालय, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव वित्त विभाग, छ.ग. शासन, डी.के.एस. भवन मंत्रालय, रायपुर।
3. विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन, सिविल लाईन, रायपुर।
4. संभाग आयुक्त, राजस्व संभाग, बिलासपुर / रायपुर / बस्तर / सरगुजा, छत्तीसगढ़।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA , विकास आयुक्त कार्यालय, रायपुर।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत—.......................छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

12/6/2012

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग